कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक – उनि/सशि/पुप्र/एफ–2057/केन्द्रीय क्रय/2019–20/21-22 दिनांक – 24.10.2019

:: विज्ञप्ति ::

केन्द्रीय क्रय योजना के तहत वित्तीय सत्र 2019–20 में कार्यालय उपनिदेशक, समाज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालय हेतु अनुमानित राशि रू. 52.00 लाख की पुस्तकें क्रय की जानी है। इच्छुक प्रकाशक निर्धारित प्रपत्र के साथ संबंधित पुस्तकों की एक–एक निःशुल्क नमूना प्रति दिनांक 30.11.2019 तक कार्यालय उप निदेशक समाज शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर परिसर) को वाहक स्तर अथवा पंजिकृत डाक से अपने व्यय पर प्रेषित करें। पुस्तक क्रय के लिए निम्नानुसार शर्ते रहेगी :–

1. वर्ष 2016 अथवा उसके पश्चात प्रकाशित पुस्तकें ही क्रय की जाएगी।
2. पुस्तकों में संस्करण (प्रथम/द्वितीय/तृतीय आदि) का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
3. पुस्तक का मूल्य एवं संस्करण वर्ष पुस्तक के अन्दर के पृष्ठ पर मुद्रित होना चाहिए। बिना मुद्रित मूल्य और स्लिप चिपकाकर अथवा रबड़ स्टांप या अन्य विधि से दर्शित मूल्य वाली पुस्तकों अथवा केवल कवर पृष्ठ पर मुद्रित मूल्य वाली पुस्तकों के चयन पर विचार नही किया जाएगा।
4. यदि कोई प्रकाशक पुरानी पुस्तक को नया नाम, प्रकाशन वर्ष, मूल्य परिवर्तित कर उसे प्रेषित करेंगे तो उसे क्रय नहीं किया जाएगा तथा इसे अपराधिक कृत्य माना जाकर, भविष्य में उस प्रकाशक से कभी भी पुस्तकें क्रय नही करने का निर्णय लिया जा सकता है।
5. पुस्तक का प्रकाशन उच्च कोटि (न्यूनतम 70 GSM) के कागज पर तथा पुस्तक का शीर्षक पृष्ठ पुस्तक के साथ संलग्न होना चाहिए।
6. जिन पुस्तकों को क्रय किया जाएगा, उन पर प्रकाशक को निम्नानुसार न्यूनतम छूट देनी होगी :–
   - 25 प्रतियों तक के लिए – 15 प्रतिशत
   - 100 प्रतियों तक के लिए – 20 प्रतिशत
   - 200 प्रतियों तक के लिए – 30 प्रतिशत
   - 200 प्रतियों से अधिक के लिए – 35 प्रतिशत
7. प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत नमूना पुस्तक का मूल्य उसकी पृष्ठ संख्या, पेपर क्वालिटी एवं साईज के अनुरूप होना चाहिए। नमूना पुस्तक के साथ प्रकाशक को अपने प्रकाशन का कैटेलॉग भी देना होगा।
8. प्रकाशक को नमूना पुस्तक के साथ यह शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि नमूना पुस्तक पर अंकित मूल्य से कम अंकित मूल्य दर्शाते हुए उस नमूना पुस्तक का कहीं पर भी विक्रय नहीं किया गया हैं।
9. पुस्तक क्रय में पुस्तकालय एडीशन के अतिरिक्त पेपर बैक एडीशन भी मान्य होगा। बशर्ते वह लेमिनेटेड हो तथा उसकी कीमत पुस्तकालय एडीशन की तुलना में पर्याप्त कम हो।
10. क्रय आदेश में वर्णित निर्धारित अवधि में यदि कोई प्रकाशक क्रय आदेश के अनुसार पूर्ण या उसके किसी भाग की पालना करने में असफल रहता है तो प्रकाशक पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार शास्ति आरोपित की जाएगी।
11. चयनित पुस्तक की प्रतियों में कमी/वृद्धि करने का अधिकार राज्य स्तरीय क्रय समिति को होगा।
12. नमूना पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्द्धक, नैतिक, सामाजिक मूल्य, स्वरोजगार, नेतृत्व क्षमता, महापुरूषों यथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगतसिंह आदि के आदर्शों पर, देशभक्ति, तर्क शक्ति, मंनोरजन, कौशल विकास, सामन्य ज्ञान, सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने आदि जैसी संदर्भ पुस्तकें होनी चाहिए।
13. नमूना पुस्तकों में ऐसा कोई शब्द या वाक्य नहीं होना चाहिए जो किसी जाति, धर्म या समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत करे अथवा विद्यार्थियों की मनःस्थिति/चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। पुस्तक के किसी अंक में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर उसकी सम्पूर्ण जवाबदेही प्रकाशक की होगी। समिति के निर्णयानुसार प्रकाशक के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
14. केन्द्र/राज्य सरकारों अथवा उनके अधीन प्रकाशक संगठनों यथा एनबीटी/एनसीईआरटी/सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार आदि द्वारा प्रकाशित पुस्तकें क्रय करने पर उनके द्वारा निर्धारित राज्य सरकारों को प्रदान की जाने वाली छूट नियमानुसार स्वीकार्य होगी।
15. नमूना पुस्तक/पुस्तकें अपने अग्रेषण पत्र पर पुस्तकों के साथ पुस्तक के संबंध में वांछित सूचना हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (एक्सेल शीट, हिन्दी मे krutidev 010 फॉन्ट साईज 14 एवं अंग्रेजी मे Times new roman फॉन्ट साईज 12 मे तैयार कर अग्रांकित प्रपत्र मे निर्धारित तिथि तक ईमेल – **kendriyakray.edu2019@gmail.com** पर प्रेषित करेगें।

क्र. सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम, पता एवं दूरभाष नं.	मूल्य	प्रकाशन वर्ष एवं संस्करण	पृष्ठ संख्या	ISBN No.	विषय	विषय वस्तु	पुस्तक का आकार	पुस्तक मे उपयुक्त कागज का विवरण किस्म – जीएसएम –
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13

प्रकाशक का ई–मेल पता –..

16. ऐसे प्रकाशक जो अपने अधिकृत अभिकर्ता (एजेन्ट) अथवा स्थानीय प्रतिनिधि के माध्यम से पुस्तक आपूर्त करना चाहते है, उन्हें प्रस्तुतीकरण के समय ही अपने अभिकर्ता/प्रतिनिधि के नाम अधिकृत पत्र पुस्तक आपूर्ति व बिल इत्यादि भिजवाने की स्पष्ट सहमति प्रस्तुत करनी होगी।
17. क्रय के लिए चयनित पुस्तकों की आपूर्ति, प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत नमूना प्रति के अनुरूप ही करनी होगी। किसी पुस्तक को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार राज्य स्तरीय समिति को होगा।
18. नमूना पुस्तक में दर्शित आईएसबीएन नम्बर के जारी होने के पत्र की अभिप्रमाणित प्रति (राजपत्रित अधिकारी एवं प्रकाशक के स्वयं के द्वारा) जमा करवाई जानी आवश्यक है।
19. प्रकाशक को यह शपथ–पत्र जमा करवाना होगा कि उनके द्वारा नमूने के तौर पर जमा करवाई गई पुस्तकों पर अंकित आईएसबीएन नम्बर का किसी अन्य पुस्तक में उपयोग नही किया गया है। परीक्षण में गलत पाए जाने पर प्रकाशक पर दण्डात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जाकर प्रकाशक को ब्लेक लिस्ट कर दिया जाएगा।
20. चयनित पुस्तक के प्रकाशक को अपना पेन कार्ड, गत वित्तीय वर्ष की आयकर रिटर्न की छायाप्रति एवं GST रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
21. नमूना प्रति के साथ प्रकाशक को अपने कार्यालय का वर्तमान पूर्ण पता अंकित कर, स्पीड पोस्ट की टिकट लगा हुआ 10 X 22 का लेमिनेटेड लिफाफा जमा करवाना होगा।
22. शर्तो के संबंध में आवश्यक शपथ–पत्र प्रकाशक के लैटर पैड पर मोहर लगाकर देना होगा।
23. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र बीकानेर स्थित न्यायालय होगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर